न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील डिक्री/टी.ए./2090/2012/जयपुर

श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री वेदप्रकाश गुप्ता जाति वैश्य निवासी ए–27 अम्बाबाड़ी जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

..अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री महादेव जाति रैगर निवासी विजयपुरा तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

.. उत्तरदातागण

उपस्थित
श्री जे.के.पारीक एवं श्री अनिल शर्मा : अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री भवानी सिंह : अधिवक्ता उत्तरदाता

———

2. अपील डिक्री/टी.ए./2091/2012/जयपुर

पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर पंजीयन क्रमांक 2429/एल, पंजीकृत कार्यालय 326, संजय बाजार, घाटगेट जयपुर जरिये मंत्री श्री इकबाल अली खान पुत्र श्री सखावत अली खान।

..अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री महादेव जाति रैगर निवासी विजयपुरा तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

.. उत्तरदातागण

उपस्थित
श्री गोपाल लाल शर्मा एवं श्री ब्रह्मानन्द शर्मा : अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री भवानी सिंह : अधिवक्ता उत्तरदाता

———

खण्ड पीठ
श्री बजरंग लाल शर्मा, सदस्य
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

निर्णय

दिनांकः 5/6/2012

उपरोक्त दो अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अंतर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 5/2012 एवं 33/2012 में पारित निर्णय दिनांक 12/3/2012 से व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं । दोनों अपील प्रकरणों में विषय–वस्तु एवं निर्णय के आधार समान होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2. हस्तगत अपील प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता श्री बाबूलाल की ओर से उप खण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर के न्यायालय में अधिनियम की धारा 88, 183 एवं 188 के अंतर्गत एक नियमित वाद अपीलार्थी/प्रतिवादी श्री महेश गुप्ता वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। इस नियमित वाद में वादी श्री बाबूलाल द्वारा मुख्य रूप से यह अभिकथन किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वादी की पैतृक भूमि है जिस पर वादी के पिता श्री महादेव का कब्जा काश्त था। वादी के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या एक ने विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया तथा इस प्रकरण में उन्होंने यह भी कथन किया है कि वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा प्रतिवादी सवर्ण जाति का व्यक्ति है। अतः वादी प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करने व अपने खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का अधिकारी है। परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 30/12/2011 को डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के इस निर्णय एवं डिकी से व्यथित होकर एक अपील पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा एवं दूसरी अपील श्री महेश गुप्ता द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीलों को दिनांक 12/3/12 को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी श्री जे.के. पारीक एवं श्री अनिल शर्मा (अपील संख्या 2012/2090) ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से पारित किये गये हैं। उनका कथन है कि प्रश्नगत भूमि श्री महादेव पुत्र श्री नैनू रैगर की खातेदारी में थी जिन्होंने दिनांक 1/5/67 को पंजीकृत विक्रय संलेख से विवादित भूमि को श्री ग्यारसीलाल रैगर को बेचान कर दिया। श्री ग्यारसीलाल रेगर ने ईसाई धर्म अपना लिया तथा इस आशय का नामान्तरकरण भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो जाने के बाद श्री ग्यारसीलाल द्वारा विवादित भूमि दिनांक 10/6/70 को श्री सुरेश कुमार महाजन को बेचान कर दिया जिसका नामान्तकररण संख्या 42 स्वीकृत हो गया तथा श्री सुरेश की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि मृतक की माता श्रीमती सत्यवती की विरासत में दर्ज हुई। श्रीमती सत्यवती द्वारा दिनांक 22/10/84 को प्रश्नगत भूमि का बेचान श्री वेदप्रकाश को कर दिया तथा श्री वेदप्रकाश की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि नामान्तरकरण संख्या 251 श्री महेश के पक्ष में विरासतन स्वीकृत किया गया। चूंकि इस प्रकरण में श्री ग्यारसीलाल रैगर द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान दिनांक 10/6/70 को श्री सुरेश कुमार महाजन के पक्ष में किया गया था अतः अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत कार्यवाही होने पर यह कार्यवाही दिनांक 13/12/76 को उप खण्ड अधिकारी ने खारिज कर दी तथा यह अभिमत व्यक्त किया कि श्री ग्यारसीलाल ईसाई जाति के है तथा उनकी ओर से किया गया बेचान विधिसम्तत है।

5. विद्वान अधिवक्ता का बहस में तर्क है कि इस प्रकरण में श्री महादेव पुत्र श्री नैनू द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान श्री ग्यारसीलाल रैगर को कर दिया गया था अतः श्री बाबूलाल पुत्र श्री महादेव द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि उनके पिता द्वारा विवादित भूमि का बेचान पहले की किया जा चुका था। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष श्री बाबूलाल द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह सिद्ध होता हो कि विवादित भूमि पैतृक थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता/वादी द्वारा न तो कोई दस्तावेज को प्रदर्श करवाया गया है न ही किसी दस्तावेज को साबित किया गया है अतः विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को डिक्री करने में विधिक रूप से भूल की गई है। उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी, जो उप खण्ड अधिकारी के सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 13/12/76 को खारिज कर दी गई। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जब श्री महादेव स्वंय द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान कर दिया गया तो उसके वारिसों के पक्ष में अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किया

जाना विधि विरूद्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों को विधि विरूद्ध एवं मनमाना बताया तथा खारिज करने का कथन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा एवं श्री ब्रह्मानन्द शर्मा (अपील संख्या 2091/2012) ने बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में निर्धारित किये गये विवाद्यकों पर विवाद्यकवार निर्णय पारित नहीं किया गया है न ही अपीलीय न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना की गई है। उन्होंने बहस में तर्क दिया कि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, जो उत्तरदाता श्री बाबूलाल की पैतृक सम्पत्ति सिद्ध करता हो। उनका कथन है कि जब प्रश्नगत भूमि के मूल खातेदार श्री महादेव रैगर द्वारा श्री ग्यारसीलाल रैगर को प्रश्नगत भूमि का विक्रय दिनांक 1/5/67 को कर दिया गया था तो उत्तरदाता श्री बाबूलाल को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा खरीद कर ली गई है तथा उस पर भू खण्ड काटे जा चुके हैं तथा भवनों का निर्माण भी प्रगति पर है अतः इन परिस्थितियों में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों को अपास्त किया जावे। एवं पहाड़गंज गृह निर्माण सहकारी समिति की अपील स्वीकार की जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता श्री बाबूलाल का बहस में कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये समवर्ती निर्णय विधिसम्मत एवं साक्ष्य से समर्थित है जिनमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि का बेचान उत्तरदाता के पिता द्वारा कभी श्री ग्यारसीलाल को नहीं किया गया तथा न ही इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनियम की धारा 175 की जो कार्यवाही हुई थी उसमें उत्तरदाता श्री बाबूलाल पक्षकार नहीं था। उन्होंने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार उत्तरदाता अनुसूचित जाति के है तथा अपीलार्थीगण गैर अनुसूचित जाति के हैं अतः प्रश्नगत भूमि का कोई भी विक्रय या अनाधिकृत कब्जा आदि विधि विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि थी जिसमें उत्तरदाता श्री बाबूलाल का प्रारंभ से ही हिस्सा था अतः श्री महादेव द्वारा किया गया बेचान विधिसंगत नहीं है। उन्होंने कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये निर्णय विधिसम्मत है अतः उन्हें पुष्ट किया जावे।

8. विद्वान राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन है कि प्रश्नगत भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के खातेदार श्री महादेव द्वारा श्री ग्यारसीलाल के पक्ष में तथा श्री ग्यारसीलाल द्वारा विवादित भूमि का बेचान श्री सुरेश कुमार महाजन के पक्ष में किया गया है। उनका कथन है कि श्री ग्यारसी लाल का ईसाई धर्म ग्रहण कर लेने की कार्यवाही इस अधिनियम के

प्रावधानों को असफल करने के उद्धेश्य से की गई है क्योंकि इस व्यक्ति ने जब स्वंय ने जमीन खरीदी थी तो वह रैगर जाति से था तथा केवल विवादित भूमि को बेचने के संबंध में अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों को निष्फल करने के लिये उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया है। उनका यह भी कथन है कि किसी काश्तकार के ईसाई धर्म ग्रहण करने के संबंध में कोई नामान्तरकरण निर्णीत करने का प्रावधान नहीं है लेकिन इस प्रकरण में कानूनी प्रावधानों को निष्फल करने के लिये एक साजिश के तौर पर यह सम्पूर्ण कार्यवाही हुई है। उनका यह कथन है कि न्यायालय को अधिनियम की धारा 221 में प्रदत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विवादित भूमि के संबंध में हुए समस्त विधि विरूद्ध व्यवहारों को व्यर्थ एवं शून्य प्रभावी घोषित कर राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करना चाहिये। विद्वान अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्ययालयों द्वारा पारित किये गये निर्णयों को विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गलत निवर्चन कर अनावश्क रूप से अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया गया है। उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त करने का कथन किया।

9. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. इन अपील प्रकरणों में अपीलार्थी की ओर से दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत कतिपय दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं। इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदाता श्री बाबूलाल की ओर से जवाब मय शपथ प्रस्तुत हुआ है। यह न्यायालय उभय पक्षों को इस आवेदन पत्र पर सुनने के बाद व्यापक न्यायहित में इन दस्तावेजों को पत्रावली पर लेना उचित समझता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन पत्र एतद स्वीकार किया जाता है।

11. इन प्रकरणों में यह एक निर्विवाद स्थिति है कि उप खण्ड अधिकारी (प्रथम), जयपुर के न्यायालय में उत्तरदाता/वादी श्री बाबूलाल द्वारा दिनांक 7/7/2007 को ग्राम विजयपुरा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने, बेदखली एवं शाश्वत निषेधाज्ञा का नियमित वाद श्री महेश गुप्ता एवं राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त होने के बाद निम्न विवाद्यक निर्धारित किये गये :–’

1. आया वादी अपनी पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम विजयपुरा की कृषि भूमि की घोषणा कराकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराने का अधिकारी है ?
––वादी

2. आया वादी प्रतिवादी को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है, कि वह स्वंय अथवा जरिये एजेन्ट उपरोक्त आराजी में वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें और जिस हिस्से पर प्रतिवादी ने गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है उससे बेदखल कराने का अधिकारी है ?

––वादी

3. आया प्रतिवादी के नाम जो गैर कानूनी रूप से उपरोक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है, को अवैध व प्रभाव शुन्य कराने का वादी अधिकारी है ?

––वादी

4. आया उक्त आराजियात को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी के पूर्वजों द्वारा क्रय की गई है, जिस आधार पर प्रतिवादी स्वंय मालिक स्वामी है।

––प्रतिवादी

5. आया वादी ने गैर कानूनी तरीके से वाद पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

––प्रतिवादी

6. आया वाद वाद करण उत्पन्न न होने के अभाव में खारिज योग्य है ?

––प्रतिवादी

7. आया वादी ने वाद में पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर को पक्षकार नहीं बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार है इसके अभाव में नान ज्वाइण्डर व मिस ज्वाइण्डर पार्टी का दोष होने के कारण वाद चलने योग्य नहीं है ?

––प्रतिवादी

8. आया वादपत्र में वर्णित आराजियात बाबत नामान्तरकरण को निरस्त कराने बाबत अपील जिलाधीश महोदय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा विक्रय पत्र व नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार, जयपुर द्वारा विक्रय पत्र व नामान्तरकरण तस्दीक किए जाने में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होना अंकित करते हुए शीर्षकीय वाद 50/76 सरकार बनाम ग्यारसीलाल व सुरेश कुमार वगैरह अदालत हाजा के समक्ष जैर दफा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसे गुणावगुण पर दिनांक 13/12/76 को खारिज किया गया जिसके विरूद्ध आज तक अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा ना ही किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में वादी के पिता श्री महादेव भी पक्षकार रहे है। इन समस्त तथ्यों को वादी ने छुपाते हुए पुनः यह वाद संख्या 45/2008 प्रस्तुत किया है इस तरह यह वाद बार्ड बाई ला होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं ?

––प्रतिवादी

9. आया वादी ने वाद में सरकार जरिए तहसीलदार, जयपुर को प्रतिवादी संख्या 2 की हैसियत से पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध भी दादरसी चाही है तो इसे पक्षकार बनाने से पूर्व जैर दफा 80 जा. दी. का नोटिस दिया जाना

कानूनन आवश्यक था जो नहीं दिए जाने से वाद खारिज किये जाने योग्य है ?

––प्रतिवादी

10. अनुतोष।

12. परीक्षण न्यायालय ने उक्त विवाद्यकों पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 30/12/11 को डिक्री कर दिया। यह सही है कि परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में विवाद्यक संख्या 1, 2 एवं 3 तथा 4, 5, 6 का निर्णय साथ साथ किया है तथा उन्होंने प्रत्येक विवाद्यक पर अपना अभिमत व्यक्त करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत दोनों अपीलों को दिनांक 12/3/12 को खारिज किया है। इस न्यायालय का परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित विवाद्यकों पर विवाद्यकवार निर्णय निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 1 आया वादी अपनी पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित ग्राम विजयपुरा की कृषि भूमि की घोषणा कराकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराने का अधिकारी है ?

इस विवाद्यक के संबंध में वादी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे स्पष्ट होता है कि खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015 में खसरा नम्बर 73 की 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्री महादेव पुत्र श्री नैनू रैगर की खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में वादी श्री बाबूलाल ने यह अभिकथन किया है कि उनके पिता श्री महादेव पुत्र श्री नैनू का देहान्त दिनांक 20/7/85 को हुआ है। इस न्यायालय को यह भी अवगत करवाया है कि श्री महादेव पुत्र श्री नैनू रैगर द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का पंजीकृत बेचान श्री ग्यारसीलाल रैगर के पक्ष मे दिनांक 1/5/67 को किया गया है। इस प्रकार यह एक महत्पूर्ण बिन्दु है कि श्री महादेव ने अपने जीवनकाल में ही प्रश्नगत भूमि का बेचान वर्ष 1967 में कर दिया तथा बेचान करने के करीब 18 वर्ष बाद तक वे जीवित रहे हैं। लेकिन उत्तरदाता से श्री बाबूलाल द्वारा अपने पिता के द्वारा किये गये बेचान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। श्री महादेव पुत्र श्री नैनू के द्वारा श्री ग्याररसी पुत्र श्री पांचूराम के पक्ष में किये गये बेचान का नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 26/10/69 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया तथा इस बेचान के बाद श्री ग्यारसीलाल स्वंय ने इस भूमि का बेचान श्री सुरेश गुप्ता को पंजीकृत बयनामा से वर्ष 1970 में कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 42 वर्ष 1970 में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या एक के संबंध में दिया गया अभिमत सही नहीं है क्योंकि वादी श्री बाबूलाल के पिता ने प्रश्नगत भूमि का

बेचान वर्ष 1967 में ही कर दिया था तथा बेचान करने के 18 वर्ष बाद तक वे स्वंय जीवित रहे है लेकिन उनके जीवनकाल में श्री बाबूलाल ने श्री ग्यारसीलाल रैगर जो की अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति है, को किये गये बेचान को चुनौनी नहीं दी। इस न्यायालय का यह स्पष्ट अभिमत है कि वादी प्रश्नगत आराजी में अब कोई अधिकर नहीं रखता है क्योंकि उसके पिता द्वारा 1967 में भूमि का पंजीकृत बेचान अपने ही जाति के व्यक्ति को कर दिये जाने के बाद वर्ष 2008 में उत्तरदाता श्री बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत वाद भ्रमात्मक एवं औचित्यहीन है। यहा यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि प्रश्नगत भूमि वादी के पिता की थी तथा वादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिये इस भूमि का बेचान किया है अतः बेचान के करीब 40 वर्ष बाद श्री बाबूलाल को पैतृक भूमि के आधार पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य के विपरीत है।

विवाद्यक संख्या 2 आया वादी प्रतिवादी को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है, कि वह स्वंय अथवा जरिये एजेन्ट उपरोक्त आराजी में वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करें और जिस हिस्से पर प्रतिवादी ने गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है उससे बेदखल कराने का अधिकारी है ?

चूकि प्रश्नगत भूमि वादी के पिता द्वारा वर्ष 1967 में ही बेचान की जा चुकी है तथा उसका कब्जा भी 1967 में श्री ग्यारसीलाल रैगर को सौंप दिया गया था अतः खातेदारी अधिकारों व कब्जे के अभाव में वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। परीक्षण न्यायालय ने केवल अपनी कल्पनाओं के आधार पर एक ऐसे विवाद्यक के संबंध में अपना अभिमत प्रकट किया है जिसमें वादी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रश्नगत भूमि का बेचान 1967 के बाद पिछले चालीस वर्षों में चार बार हो चुका है तथा वादी ने वर्ष 1967 से लेकर 2008 तक इस संबंध में कोई आपत्ति किसी स्तर पर दर्ज नहीं करवाई है। अतः विवाद्यक संख्या दो वादी के पक्ष मे निर्णीत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह न्यायालय इस विवाद्यक पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा व्यक्त अभिमत से सहमत नहीं है तथा इस विवाद्यक का निर्णय वादी के विरूद्ध किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 3 आया प्रतिवादी के नाम जो गैर कानूनी रूप से उपरोक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है, को अवैध व प्रभाव शुन्य कराने का वादी अधिकारी है ?

इस विवाद्यक के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे यह स्पष्ट होता है कि

विवादित भूमि के मूल खातेदार श्री महादेव रैगर थे उन्होंने इस भूमि का बेचान वर्ष 1967 में श्री ग्यारसी पुत्र पांचू रैगर के पक्ष में कर दिया था। इसके बाद श्री ग्यारसी रैगर द्वारा वर्ष 1970 में प्रश्नगत भूमि का बेचान श्री सुरेश कुमार गुप्ता के पक्ष में किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि यह बेचान अधिनियम की धारा 42 के स्पष्टतः उल्लंधन में किया गया है। क्योंकि श्री ग्यारसीलाल रैगर ने जब स्वंय ने इस भूमि को दिनांक 1/5/67 को खरीदा था तब उनकी जाति रैगर थी। अगर श्री ग्यारसीलाल उस समय ईसाई होते तो वे विवादित भूमि को श्री महादेव से नहीं खरीद सकते थे। चूंकि 1970 में उन्हें इस भूमि को श्री सुरेश गुप्ता के पक्ष में बेचान करना था, जो गैर अनुसूचित जाति के है, अतः उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों को निष्फल करने के लिये धर्म परिवर्तन की औपचारिकता करते हुए अपने आपको ईसाई बताकर इस भूमि का बेचान श्री महेश गुप्ता को कर दिया। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि इन परिस्थितियों में प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का जो नाम दर्ज है वह विधि द्वारा वर्जित विक्रय संलेख के आधार पर दर्ज हुआ है, जो विधि विरूद्ध है। यह न्यायालय यहां यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि यद्यपि विवादित भूमि पर प्रतिवादी श्री महेश गुप्ता के पक्ष में दर्ज खातेदारी प्रारम्भ से व्यर्थ एवं शुन्य प्रभावी विक्रय संलेख के आधार पर होने के कारण विधि विरूद्ध है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवादित भूमि उत्तरदाता श्री बाबूलाल के पक्ष में दर्ज किया जाना उचित है। श्री बाबूलाल के पिता द्वारा वर्ष 1967 में ही इस भूमि का बेचान किया जा चुका है अतः श्री बाबूलाल का विवादित भूमि पर कोई हित निहित नहीं है।

विवाद्यक संख्या 4 आया उक्त आराजियात को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी के पूर्वजों द्वारा क्रय की गई है, जिस आधार पर प्रतिवादी स्वंय मालिक स्वामी है।

इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। यद्यपि प्रतिवादी ने इस भूमि को अपने पूर्वजों द्वारा क्रय किया जाना बताया जाकर स्वयं को विवादित भूमि का स्वत्व धारक बतलाता है लेकिन यह एक निर्विवाद स्थिति है कि इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी का यह कथन रहा है कि विवादित भूमि उसकी पैतृक एवं मौरूसी जायदाद है क्योंकि उनके पूर्वजों ने विवादित भूमि नियमानुसार क्रय की है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि श्री ग्यासीलाल पुत्र पांचू राम से श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश द्वारा दिनांक 9/7/1970 को क्रय की गई है तथा इस आशय का नामान्तरकरण संख्या 42 भी सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित भूमि का यह पंजीकृत विक्रय संलेख से बेचान स्पष्टतः विधि द्वारा वर्जित एवं लोकनीति के विरूद्ध है। क्योंकि इस भूमि का विक्रेता श्री ग्यारसी लाल जाति से रैगर होकर अनुसूचित जाति का सदस्य है। यदि श्री ग्यारसी लाल को धर्म परिवर्तन के बाद में ईसाई

होना मानते है तो श्री ग्यारसी लाल द्वारा श्री महादेव रैगर से विवादित भूमि का क्रय किया जाना विधिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार विवादित भूमि का यह बेचान विधि विरूद्ध होने के कारण व्यर्थ एवं शुन्य प्रभावी है, जो केता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। श्री सुरेश कुमार की मृत्यु के बाद प्रश्नगत भूमि श्रीमती सत्यवती गुप्ता के पक्ष में विरासतन दर्ज हुई है तथा श्रीमती सत्यवती गुप्ता ने प्रश्नगत भूमि का बेचान श्री वेद प्रकाश गुप्ता को दिनांक 22/10/84 को किया है। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 125 श्री वेद प्रकाश के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। श्री वेद प्रकाश गुप्ता की मृत्यु होने पर प्रश्नगत भूमि श्री महेश गुप्ता के खाते में विरासतन दर्ज हुई है। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि विवादित भूमि मूलतः श्री महादेव रैगर (अनुसूचित जाति) की खातेदारी की थी, जिसे दिनांक 1/5/67 को श्री ग्यारसी रैगर को बेचान किया गया है तथा श्री ग्यारसी रैगर (ईसाई) द्वारा प्रश्नगत भूमि का बेचान श्री सुरेश गुप्ता (गैर अनुसूचित जाति) के पक्ष में पंजीकृत बेचान से नामान्तरकरण संख्या 42 के माध्यम से हस्तान्तरित हुई है। इस प्रकार श्री ग्यारसी लाल रैगर से प्रश्नगत भूमि का बेचान श्री सुरेश गुप्ता के पक्ष में हुआ है, वह भारतीय अनुबन्ध अधिनिमय की धारा 23 के अंतर्गत विधि द्वारा वर्जित अनुबंध के माध्यम से हुआ है जो केता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रामचन्द्र बनाम ओमप्रकाश के प्रकरण में (आर.आर.डी. 1979 पृष्ठ 207) निम्न अभिमत व्यक्त किया गया है :–

"5- The sale in question is, therefore, in contravention of the proviso to Section 42, which categorically, forbids the sale by a member of the scheduled caste or scheduled tribe in favour of persons who are not members of that class. The sale in question is, therefore, forbidden by law within the meaning of Section 23 of the Indian Contract Act. It is well settled that where a contract, which a party seeks to enforce, is expressly or by implication forbidden by any law, no court will lead its assistance to give it effect. In this connection we may refer to Whiteman V. Sadier (1910 A.C. 514, 625); Dip Narain V. Nagesher (28 ALJ 45 FB); Anderson V. Daniel (1924) 1 KB 138: 93 LJ KB) : Hosthy V. Westby (2 Dr. & W 520); Hormasji V. Pestanji (13 B 422); and Munshi V.C.Board (1942) O.99); which lead support to our view.

6. In view of the above discussions we are definitely of the opinion that the contract of sale or a sale made by a scheduled caste or scheduled tribe persons in favour of persons and belonging to that class, is void and not enforceable in law. The sale in question has, therefore, rightly been held to the void by the Board of Revenue."

इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी श्री महेश गुप्ता के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 आया वादी ने गैर कानूनी तरीके से वाद पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

इस न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि वादी श्री बाबूलाल के पिता श्री महादेव ने विवादित भूमि का बेचान दिनांक 1/5/67 को श्री ग्यारसी रैगर के पक्ष में निष्पादित कर दिया था तथा श्री महादेव का देहान्त 1985 में हुआ है तथा वादी द्वारा यह दावा वर्ष 2008 में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण की परिस्थितियों में वादी द्वारा अपने पिता द्वारा विवादित भूमि का बेचान कर देने के बाद भी करीब 40 वर्ष बाद प्रस्तुत यह वाद खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि विवादित भूमि का बेचान वादी के पिता द्वारा कर दिये जाने के बाद वादी को विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यदि वादी को अपने पिता द्वारा निष्पादित विक्रय संलेख दिनांक 1/5/67 के संबंध में कोई परिवेदना है तो वह सक्षम दीवानी न्यायालय से इस विक्रय संलेख को खारिज करवाने की कार्यवाही कर सकता है। यह न्यायालय विवाद्यक संख्या 5 का निर्णय वादी के विरूद्ध करता है।

विवाद्यक संख्या 6 आया वाद वाद करण उत्पन्न न होने के अभाव में खारिज योग्य है ?

इस प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी के पिता द्वारा दिनांक 1/5/67 को भूमि का बेचान श्री ग्यारसा के पक्ष में कर देने व इस विक्रय संलेख की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 26/10/69 को स्वीकृत हो जाने के बाद वादी के पास इस वाद को प्रस्तुत करने का कोई वाद करण उपलब्ध नहीं रहता है। इस प्रकार वाद करण के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद खारिज किये जाने योग्य है। इस विवाद्यक का निर्णय भी वादी के विरूद्ध किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 आया वादी ने वाद में पहाडगंज गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर को पक्षकार नहीं बनाया जो कि आवश्यक पक्षकार है इसके अभाव में नान ज्वाइण्डर व मिस ज्वाइण्डर पार्टी का दोष होने के कारण वाद चलने योग्य नहीं है ?

इस विवाद्यक के सबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेंजों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखों में श्री महेश गुप्ता के नाम खातेदारी में दर्ज है अतः पहाडगंज निर्माण सहकारी समिति को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि पहाडगंज सहकारी सिमिति स्वयं अपने आपको इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार मानती है तो वह दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकती है। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं

बनाने के दोष से ग्रसित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस विवाद्यक के संबंध में इस न्यायालय का अभिमत प्रतिवादी के विरूद्ध है।

विवाद्यक संख्या 8 आया वादपत्र में वर्णित आराजियात बाबत नामान्तरकरण को निरस्त कराने बाबत अपील जिलाधीश महोदय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा विक्रय पत्र व नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार, जयपुर द्वारा विक्रय पत्र व नामान्तरकरण तस्दीक किए जाने में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होना अंकित करते हुए शीर्षकीय वाद 50/76 सरकार बनाम ग्यारसीलाल व सुरेश कुमार वगैरह अदालत हाजा के समक्ष जैर दफा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसे गुणावगुण पर दिनांक 13/12/76 को खारिज किया गया जिसके विरूद्ध आज तक अपील प्रस्तुत नहीं की गई है तथा ना ही किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है उक्त निर्णय अंतिम निर्णय है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में वादी के पिता श्री महादेव भी पक्षकार रहे है। इन समस्त तथ्यों को वादी ने छुपाते हुए पुनः यह वाद संख्या 45/2008 प्रस्तुत किया है इस तरह यह वाद बार्ड बाई ला होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं?

इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादी की ओर से यह कथन किया गया है कि श्री ग्यारसी लाल द्वारा श्री सुरेश गुप्ता के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रय संलेख दिनांक 9/7/1970 की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 42 स्वीकृत हो गया था तथा तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 50/76 प्रस्तुत किया था, जो परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 13/12/76 को गुणावगुण पर खारिज कर दिया गया, जिसकी कोई अपील राज्य सरकार द्वारा आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रतिवादी का यह कथन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में इस न्यायालय के समक्ष विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत इस प्रकरण में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस वाद में संलिप्त कृषि भमि को अधिनियम की धारा 175 के अंतर्गत राजकीय भूमि दर्ज की जावे क्योंकि इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही अधिनियम की धारा 42 एवं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत विधि द्वारा वर्जित थी तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस प्रकरण में गंभीर अनियमितताऐं बरती जाकर कानून का उल्लन्घन किया गया है।

यह न्यायालय इस प्रकरण की परिस्थितियों में इस मत का है कि विवादित भूमि का श्री ग्यारसी लाल पुत्र श्री पांचू रैगर द्वारा श्री महादेव से क्रय किया जाना एवं श्री ग्यारसी लाल द्वारा ईसाई बनकर श्री सुरेश गुप्ता को बेचान किये जाने की कार्यवाही भारतीय अनुबंध अधिनियम मी धारा 23 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 को निष्फल करने के उद्वेश्य से की गई है अतः इस न्यायालय के मतानुसार यह प्रकरण अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत

प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है।

विवाद्यक संख्या 9 आया वादी ने वाद में सरकार जरिए तहसीलदार, जयपुर को प्रतिवादी संख्या 2 की हैसियत से पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध भी दादरसी चाही है तो इसे पक्षकार बनाने से पूर्व जैर दफा 80 जा. दी. का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक था जो नहीं दिए जाने से वाद खारिज किये जाने योग्य है?

इस विवाद्यक के अनुसार यह एक स्थापित विधिक स्थिति है कि राज्य सरकार के विरूद्ध यदि कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत आवश्यक रूप से नोटिस दिया जाना आवश्यक है तथा वादी द्वारा इस प्रकरण में विधिक रूप से आवश्यक नोटिस नहीं दिया गया है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद इसी सीमा तक दोषपूर्ण है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 73 ग्राम विजयपुरा रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा श्री महादेव रैगर की खातेदारी की भूमि थी जिसका बेचान दिनांक 1/5/67 को श्री ग्यारसा रैगर के पक्ष में किया गया है तथा यह विवादित भूमि बाद में श्री ग्यारसा रैगर द्वारा अपने आपको ईसाई बतलाते हुए श्री सुरेश गुप्ता के पक्ष में पंजीकृत विक्रय संलेख से हस्तान्तरित की गई है। यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि श्री ग्यारसी लाल रैगर के ईसाई बनने पर भी नायब तहसीलदार, जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 39 ग्राम विजयपुरा दिनांक 1/6/70 को स्वीकृत किया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण राजस्व प्रशासन विवादित भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से हस्तान्तरण की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोगी रहे हैं तथा उन्होंने लोक सेवक होते हुए भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये जो कानून बनाये गये हैं, उनको निष्फल करने में प्रतिवादी परिवार के साथ साजिश के रूप में सहयोग किया है, जो उनसे वांछनीय नहीं था।

14. इस संबंध में इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने रामजस बनाम राजस्थान राज्य (आर.आर.डी. 1983 पृष्ठ 571) के न्यायिक दृष्टान्त में स्पष्ट रूप से यह अभिमत प्रकट किया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा ईसाई धर्म अपनाये जाने पर भी उसकी जाति नहीं बदलती। इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय का संगत उद्धरण निम्न प्रकार है :–

We have carefully considered these rival submissions. In the case of Kewal Kumar the learned Division Bench, while quoting extensively from the case of C.M. Arumugam (AIR 1976 SC 939) had observed as follows :

Having noted that it is a matter of common knowledge that the institution of caste is a peculiarly Indian institution, the Court proceeded to observe that 'religion is inevitably mixed up with social conduct and that is why caste has become an integral feature of Hindu society. But from that it does not unnecessarily follow as invariable rule that whenever a person renounces Hinduism and embraces another religious faith, he automatically ceases to be a member of the caste in which he was born and to which he belonged prior to his conversion. They observed that "where caste is based on economic or occupational characteristics and not on religion identity or the cohesion of the case as a social group is so strong that conversion into another religion does not operate to snap the bond between the convert and the social group. This is indeed not an infrequent phenomenon in South India where, in some of the castes, even after conversion to Christianity, a person is regarded as continuing to belong to version to Christianity, a person is regarded as continuing to belong to the caste." The Supreme Court went on to observe that "Casteism which has taken deep roots in Hinduism for some reason or other may not therefore cease its existence even after conversion. Thus a conversion does not necessarily result in extinguishment of caste and no withstanding conversion, a convert may enjoy the privileges social and political by virtue of his being a member of the community with its acceptance." The Court further observed that "in that case the elected candidate was held to be continued to belong to the Mala Andhra Caste which was a scheduled caste, despite his conversion to Christianity." This observation was extracted from a judgment of the Andhra High Court in a case reported in 1976 (30) Election L.R.199. The Supreme Court quoted with approval that 'If the old order is tolerant of the new faith and sees no reason to out caste or ex-communicate the convert and the individual himself desires and intends to retain his old social political ties, the conversion is only nominal for all practical purposes and when we have to consider the legal and political rights of the old body, the views of the new faith hardly matter". The Supreme Court observed that "It cannot, therefore be laid down as an absolute rule uniformly applicable in all cases that whenever a member of a caste is converted from Hinduism to Christianity he loses his membership of the caste."

15. माननीय खण्ड पीठ द्वारा अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा ईसाई धर्म अपनाये जाने की स्थिति को स्पष्ट किया है। इसी प्रकार इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा श्री जीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1985 आर.आर.डी. पृष्ठ 645) के मामले में भी इसी अभिमत को दोहराया है। इस प्रकरण विशेष में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भारतीस संविधान एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को निष्फल करने के उद्धेश्य से विवादित भूमि का हस्तान्तरण अनुमत किया

गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल ये निर्णय पारित किये हैं, जो घोर अन्याय की श्रेणी में आते हैं।

16. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विरला प्रकरण है जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि को ईसाई धर्म अपनाये जाने की आड़ में विधि विरूद्ध तरीके से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज किया गया है। इस प्रक्रिया में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदत्त विधिक संरक्षण से संबंधित प्रावधानों को निष्फल करने की कार्यवाही की गई है। अतः यह न्यायालय इस प्रकरण की परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 221 के अंतर्गत प्रदत्त अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना व्यापक न्यायहित में पाता है।

17. यह न्यायालय इन प्रकरणों में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों को एतद खारिज करता है। विवादित भूमि से वादी एवं अपीलार्थीगण का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है अतः उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दावे (Claims) खारिज किये जाते हैं।

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय अधिनियम की धारा 221 में प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम विजयपुरा के खसरा नम्बर 73 रकबा 3 बीधा 15 बिस्वा भूमि को राजकीय भूमि घोषित करता है। राजस्व अभिलेखों में इस आशय का इन्द्राज किया जावे। यह भूमि चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण की नगरीय सीमा में स्थित है अतः आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण विवादित भूमि के प्रबन्धन एवं उपयोग की समुचित कार्यवाही करें। निर्णय की एक–एक प्रति जिला कलेक्टर, जयपुर, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं तहसीलदार, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य

(बजरंग लाल शर्मा)
सदस्य